फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

आदेश कुमार बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट मु0नं0– 76 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2023	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 485 वाके ग्राम गण्डरावा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा दिनंक 08.06.2023 को किया जा चुका है। लेकिन पडोसीयान कभी भी पुनः प्रार्थीगणों की उक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि का राजस्व कर्मचारियों द्वारा किए गए सीमाज्ञान चिन्हों को हटाकर अपनी भूमि में मिला सकते है, इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जेशुदा भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया किया। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2023 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को वाके ग्राम गण्डरावा तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 485 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.09.2023 सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	